



कार्यालय
प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार
कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन



सं०: 454/पी०एस०(चि०स्वा०/चि०शि०)/2025

लखनऊ : दिनांक: 25 जुलाई, 2025

कार्यालय आदेश

श्री सुभाष त्रिपाठी, मा० विधायक, पयागपुर (बहराइच) के पत्र दिनांक 24.07.2025 (छायाप्रति संलग्न), जिसमें श्री उमेश पाल, निवासी अमराई, थाना विशेश्वरगंज, बहराइच की पत्नी को प्रसव हेतु भर्ती कराने की प्रक्रिया के दौरान महाराजा सुहेल देव मेडिकल कालेज, बहराइच के तत्समय ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक/स्टॉफ द्वारा किये गये उपेक्षा पूर्ण व्यवहार की शिकायत की गयी है, की जांच हेतु निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जाता है:-

1. श्रीमती किंजल सिंह, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा अध्यक्ष
 2. श्रीमती कृतिका शर्मा, विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा सदस्य/संयोजक
 3. डा० नीतू सिंह, प्रोफेसर, आब्स एण्ड गायनी, आर०एम०एल० सदस्य
 2. उपरोक्त कमेटी द्वारा उक्त प्रकरण की जांच कर 15 दिन के अन्दर अपनी आख्या शासन को उपलब्ध करायेगी।
 3. तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- संलग्नक-यथोपरि।

25.07.2025

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)

प्रमुख सचिव,

चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. श्री सुभाष त्रिपाठी, मा० विधायक, पयागपुर (बहराइच) को उनके पत्र दिनांक 24.07.2025 के क्रम में सूचनार्थ।
2. सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं अनुश्रवण हेतु।
3. श्रीमती किंजल सिंह, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण।
4. श्रीमती कृतिका शर्मा, विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. डा० नीतू सिंह, प्रोफेसर, आब्स एण्ड गायनी, आर०एम०एल०।
6. प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, बहराइच।
7. गार्ड फाईल/चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1।

25.07.2025

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)

कक्ष सं० 401/409, चतुर्थ तल, लाल बहादुर शास्त्री भवन (एनेक्सी) सचिवालय, लखनऊ-226001

दूरभाष- 0522-2239306/2239524 Email: psecup.health@gmail.com

चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

सुभाष त्रिपाठी 'एडवोकेट'
विधायक

287, विधान सभा पर्यागपुर (बहराइच)
सदस्य प्राक्कलन समिति विधान सभा उ०प्र०
पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष (अवध क्षेत्र) भाजपा



आवास बहराइच- मो०- घसियारीपुरा

निकट संहारिणी मन्दिर, जनपद- बहराइच

क-7 No. 405457

नवनिर्मित बहुमंजिला आवास फ्लैट नं०- 202

3, तिलक मार्ग, डालीबाग, लखनऊ

मो०- 8887151087

दिनांक... 24.7.2025

**प्रमुख सचिव,
स्वास्थ्य
उ०प्र० सरकार, लखनऊ।**

प्रिय महोदय,

कृपया उमेश पाल, निवासी अमराई थाना विशेश्वरगंज, बहराइच के संलग्न प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जो उनकी पत्नी का महाराजा सुहेल देव मेडिकल कालेज, बहराइच में प्रसव में किए गए उपेक्षा पूर्ण व्यवहार से संबंधित है।

दिनांक 12 जुलाई 2025 को की उमेश पाल अपनी पत्नी श्रीमती वसंत कुमारी के प्रसव के लिए मेडिकल कालेज दिन में लगभग 03 बजे गए थे और भर्ती कराया था। उनकी पत्नी प्रसव पीड़ा से काफी परेशान थी मैंने संबंधित डा० अंजू श्रीवास्तव जी से वार्ता कर मो० पर श्रीमती वसंत कुमारी को देखने के लिये कहा परन्तु उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य डा० संजय खत्री से वार्ता किया और उन्हें प्रसव पीड़िता के बारे में बताया। प्रधानाचार्य डा० संजय खत्री ने भी कोई ध्यान नहीं दिया और मजबूर होकर श्री उमेश पाल अपनी पत्नी को रात्रि में लगभग 10.15 बजे रात्रि में एक प्राइवेट नर्सिंग होम में ले गये जहाँ रात्रि लगभग 11.30 बजे प्रसव कराना पड़ा। आए दिन इस तरह की घटनाएं मेडिकल कालेज बहराइच में हो रही है जिनके कारण से लोगों को प्राइवेट नर्सिंग होम में जाना पड़ रहा है।

अतः आपसे आग्रह है कि उक्त प्रकरण की उच्च स्तरीय शासन स्तर से जाँच कराते हुये लापरवाही बरतने वाले डा० व संबंधित अन्य दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का कष्ट करें।

राम निवास वर्मा
नेता
उ०प्र० विधान मण्डल अपना दल (एस)
विधायक
मो०-283, नानपारा, बहराइच

(सुभाष त्रिपाठी)

प्रति,

श्रीमान प्रभुय सावित्र स्वास्थ्य विभाग

3020

उमेश कुमार पुत्र आशाराम R/O अमराई वि० ख० व आना विशेश्वरगंज जिला बहराइच -
प्रार्थी

प्रार्थना पत्र वास्तो करायें जाने
जोच व किये जाने कार्यवाही
दर्ज किये जाने F.I.R

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी की पत्नी वसन्त कामाक्षी गर्भवती थी, दि० 12.07.2025 को
अस्थायिक दर्ज मोहा हॉम पर प्रार्थी महाराजा सुहृदवत रक्षारी राज्य चिकित्सालय बहराइच
में लेकर आया जहाँ शाम 03.04pm पर एडमिट करने के पश्चात 7 घण्टे तक मरी कोई
सुनवाई नहीं हुई। करीब रात 10.00 pm तक डॉक्टरों का सही देखा समुचित इलाज नहीं
किया गया अस्पताल स्टाफ द्वारा दलमोजी की गई प्रार्थी की पत्नी की हालत नाजुक होने
पर प्रार्थी ने 10.30 परागपुर विधायक श्री सुभाष त्रिपाठी जी से वहाँ की विधायक जी ने
भी अस्पताल में बानी की लोकल अस्पताल में क्रमवारियों द्वारा कोई बात नहीं की गई जब
प्रार्थी को लगा की उसकी पत्नी अब नहीं बचेगी तो वह किसी तरह प्राइवेट चिकित्सालय
R.K हॉस्पिटल बहराइच ले गया तब किसी तरह जान बची 30 अन्तु श्रोवास्तव की गार्म
दरमन में एडमिट हुई थी प्राइवेट हॉस्पिटल में लगभग मर 30 हजार रु० खर्च हुये।
अस्पताल कर्मचारियों का अपन पदवीय कर्तव्य की अवहेलना की गई लापरवाही बरती गई
यदि प्रार्थी अपनी पत्नी को प्राइवेट अस्पताल नहीं ले जाता तो उनकी मृत्यु होना निश्चित
था जिसके संबंध में तत्काल जांच कराया जाये ताकी आने वाले दिन हो रहे घटना
भविष्य में न हो।

अतः श्रीमान जी से ससम्मान विग्रम निवेदन है कि उपरोक्त प्रकरण में जोच करा
कर दण्डनात्मक कार्यवाही की जाये।

प्रार्थी

Umesh Kumar

उमेश कुमार पुत्र आशाराम
R/O अमराई वि० ख०
व आना विशेश्वरगंज
जिला बहराइच
नो० 9005107251
दिनांक - 24.07.2025